जेल से पीएम तक का सफर

चार साल में तारिक रहमान ने बीएनपी को दिलाई सत्ता

नई दिल्ली, 13 फरवरी. लंदन में 17 साल के स्व-निर्वासन से लौटने के लगभग दो महीने बाद सभी उम्मीदों को धता बताते हुए तारिक रहमान ने बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी को एक निर्णायक जीत दिलायी है. इस शानदार जीत में बीएनपी ने दो-तिहाई से अधिक सीटों पर कब्जा किया और अवामी लीग पर लगे विवादास्पद प्रतिबंध के बाद बने शून्य को भर दिया.

इस जीत ने शासन का कोई पिछला अनुभव न रखने वाले व्यक्ति को 17 करोड़ लोगों के राष्ट्र के प्रमुख के पद पर पहुंचा दिया है. विरासत की राजनीति के अभ्यस्त इस देश में, श्री रहमान का उत्थान अपरिहार्य और असंभव दोनों ही महसूस हुआ. वह जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं, वही पूर्व सैन्य अधिकारी जिन्होंने 1971 में बंगलादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और बाद में पहले एक शासक और फिर निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में शासन किया.

उनकी माँ खालिदा जिया दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं. दशकों तक, बंगलादेश का सार्वजनिक जीवन बेगमों की जंग के इर्द-गिर्द घूमता रहा, एक तरफ बेगम जिया और दूसरी तरफ बंगलादेश के संस्थापक शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना. श्री रहमान इसी प्रतिद्वंद्विता की छाया में बड़े हुए. नब्बे के दशक और दो हजार के दशक की शुरुआत में अपनी माँ की सरकारों के दौरान, उन्होंने कोई औपचारिक पद नहीं संभाला. लेकिन ढाका के गलियारों और मंत्रालयों में यह स्पष्ट रूप से समझा जाता था कि श्री रहमान के करीब होना उतना ही मूल्यवान हो सकता है जितना कि खुद प्रधानमंत्री के करीब होना. उनके प्रशंसक उन्हें पार्टी का रणनीतिकार और आधुनिकतावादी कहते थे, जबकि आलोचक उनके लिए %राजकुमार% और गेटकीपर जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते थे.

बंगलादेश 4 वर्षों तक सबसे भ्रष्ट देश

बीएनपी के 2001-2006 के कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों के कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बंगलादेश को लगातार चार वर्षों तक दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश करार दिया था. 2006 में जब सरकार का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो देश एक ऐसे चुनाव की ओर बढ़ रहा था जिस पर कम ही लोगों को भरोसा था. एक सैन्य-समर्थित अंतरिम प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद हुए उथल-पुथल में श्री रहमान को गिरफ्तार कर अठारह महीने के लिए जेल भेज दिया गया. उन पर गबन, धन शोधन से लेकर अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले में कथित संलिप्तता तक दर्जनों मामले दर्ज किए गए थे.

बिरला ने सरोजिनी नायडू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली, 13 फरवरी. लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. लोकसभा सचिवालय ने बताया कि श्री बिरला के अलावा राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर श्रीमती नायडू को श्रद्धांजलि अर्पित की. श्रीमती नायडू, जिन्हें भारत कोकिला (नाइटिंगेल ऑफ इंडिया) के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली वक्ता, सुविख्यात कवयित्री और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थीं. उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था.

सेवा तीर्थ : जनसेवा का नया अध्याय : शाह

गृह मंत्री शाह ने कहा– 'सेवा तीर्थ' विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक पहल

- सेवा से विकास तक : नया संकल्प
- जनकल्याण का केंद्र बना 'सेवा तीर्थ'

नई दिल्ली, 13 फरवरी. प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर 'सेवा तीर्थ' का लोकार्पण एक प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक क्षण के रूप में सामने आया है. इसे केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना को समर्पित एक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि यह पहल भारतीय लोकतंत्र में जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सेवा, सुशासन और विकास को केंद्र में रखकर कई जनकल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं. 'सेवा तीर्थ' को इसी निरंतर प्रयास का विस्तार बताया जा रहा है.

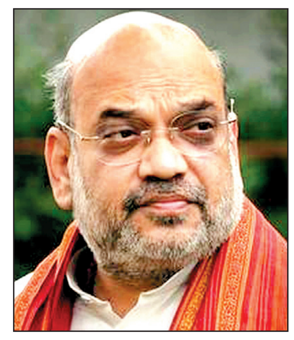

सरकार का दावा है कि यह नया कार्यालय नीति-निर्माण और क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा, जिससे विकास की योजनाएँ अधिक प्रभावी ढंग से देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सकें. देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर 'सेवा तीर्थ' को सरकार के सेवा-संकल्प का सशक्त प्रतीक बताया है. उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जनसेवा में निहित है और इसी भावना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से इस नए परिसर की स्थापना की गई है. गृह मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि यह दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'सेवा तीर्थ' का लोकार्पण कर शासन को जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उनके अनुसार, यह केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि सेवा-भाव से संचालित सरकार के विज़न का प्रतीक है.

अमित शाह ने अपने संदेश में कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने समाज के हर वर्ग तक विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. चाहे वह बुनियादी ढांचे का विस्तार हो, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ हों या डिजिटल सेवाओं का विस्तार—सरकार ने सुशासन को प्राथमिकता दी है. 'सेवा तीर्थ' को इन प्रयासों की संस्थागत मजबूती के रूप में देखा जा रहा है.

कोई भी कानून से ऊपर नहीं : योगी

- हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं होता

लखनऊ, 13 फरवरी. उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और विपक्ष के रुख को लेकर तीखे बयान दिए. प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.

माफिया ही नहीं, मच्छरों का भी इलाज करती सरकार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल माफिया के खिलाफ ही नहीं, बल्कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ भी निर्णायक कार्रवाई करती है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले इंसेफलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी, लेकिन सरकार के समन्वित प्रयासों से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है.

विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चार पीठों की परंपरा और वेदों की मर्यादा निर्धारित है, जिसे आदि जगद्गुरु आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था. नियमों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में व्यवस्था और सुरक्षा सर्वोपरि है. जहां से श्रद्धालु स्नान कर बाहर निकल रहे हों, वहां कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे भगदड़ की स्थिति बने. श्रद्धालुओं की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. उन्होंने दोहराया कि सरकार कानून का पालन करना और करवाना दोनों जानती है.

वाराणसी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी

वाराणसी, 13 फरवरी. धार्मिक नगरी काशी में शुक्रवार को जिला न्यायालय (कचहरी) को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह धमकी ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके बाद परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) प्रमोद कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई. कचहरी परिसर को तत्काल खाली कराया जा रहा है तथा सभी अधिवक्ताओं को घर लौटने की अपील की जा रही है. पुलिस उपायुक्त (वरुणा जोन) प्रमोद कुमार ने बताया कि जिला जज संजीव शुक्ला को ई मेल के माध्यम से कचहरी परिसर में बम की खबर दी गई है.

राज्य के सभी बंद चीनी मिलों को जल्द शुरू करें

पटना, 13 फरवरी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बंद चीनी मिलों को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री श्री कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में सात निश्चय पार्ट- 3 के तहत समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार के लिये किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष %समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह तथा गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने अपने-अपने विभागों द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने बताया कि गोपालगंज जिले के सासामूसा चीनी मिल को जल्द ही शुरू किया जायेगा. मुख्यमंत्री श्री कुमार ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जो भी बंद चीनी मिले हैं, उनकी जल्द से जल्द शुरूआत करायें. उन्होंने कहा कि सासामूसा चीनी मिल जल्द शुरू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री श्री कुमार ने निर्देश दिया कि सात निश्चय पार्ट-3 के तहत समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से और तेजी से पूर्ण करें.

नील नदी में नाव पलटने से 21 लोगों की मौत

खार्तूम. उत्तरी सूडान के नील नदी प्रांत में यात्री नौका के डूबने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गयी, जबकि आठ लोगों को जिन्दा बचा लिया गया है. नील नदी प्रांत की सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में कहा, बुधवार को नाव डूबने के बाद नदी से 21 शव बरामद किये गये हैं.

पश्चिम मध्य रेल
इंजीनियरिंग विभाग
खुली निविदा

निम्नलिखित कार्य के ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में **वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय), मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर** के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना क्रमांकः** डी.आर.एम.डब्ल्यू–जे.बी.पी–21–2026, दिनांक 10.02.2026. **कार्य का नाम लोकेशन सहितः सहायक मंडल अभियंता (उत्तर) सतना उपमंडल के अधीन रीवा में स्थित 2.50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले जल पुनर्चक्रण संयंत्र का 24 महीनों के लिए संचालन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य। कार्य का अनुमानित मूल्यः** ₹ 11,59,806/-. **बयाना राशिः** ₹ 23,200/-. **समापन अवधिः** 24 माह। **निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 15.00 बजे तकः** 06.03.2026. **निविदा खुलने का समय 15.15 बजे तिथिः** 06.03.2026. उपरोक्त ई–निविदा की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट **https://ireps.gov.in** पर उपलब्ध है एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई–निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

देश की पहली डीडीआईसी ओसैट सुविधा यीडा में

लखनऊ/नोएडा, 13 फरवरी. उत्तर प्रदेश को देश के सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में 21 फरवरी को ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा, जब यीडा क्षेत्र में इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर संयंत्र का शिलान्यास होगा. यह संयुक्त उद्यम एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है. इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव परियोजना स्थल पर उपस्थित रहेंगे. यीडा क्षेत्र के सेक्टर 28 में 48 एकड़ भूमि पर होने जा रहा शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा. यह परियोजना भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित की जा रही है. यह देश की पहली डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट (डीडीआईसी) ओसैट (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग) सुविधा होगी, जहां चिप्स की उन्नत पैकेजिंग, संयोजन और परीक्षण किया जाएगा. डीडीआईसी चिप्स का उपयोग मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल डिस्प्ले में होता है.

वर्तमान में इनकी आपूर्ति के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर है. यह संयंत्र घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता कम करेगा.

मुर्मु ने राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 13 फरवरी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को यहां ब्रह्मा कुमारीज के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा सशक्त भारत के लिए कर्मयोग नामक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया. राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रपति ने गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती समारोह का भी शुभारंभ किया. श्रीमती मुर्मु ने कहा कि संतुलित और समग्र विकास के लिए नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता का भौतिक प्रगति के साथ समन्वय आवश्यक है. आर्थिक प्रगति समृद्धि को बढ़ावा देती है और तकनीकी प्रगति नवाचार, दक्षता तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है. ये एक समृद्ध राष्ट्र की नींव रखते हैं. किन्तु नैतिकता के बिना आर्थिक और तकनीकी विकास समाज में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है. उदाहरण के लिए, अनैतिक आर्थिक प्रगति से धन और संसाधनों का केंद्रीकरण, पर्यावरण को क्षति तथा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण हो सकता है.

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./1501/22/D-12/DPR-Cons./PMGSY-IV/MPRRDA/26
Bhopal, Date : 13.02.2026

NOTICE INVITING BIDs FOR DPR PREPARATION
(E-Procuremnet Notice)

Online Bids are invited from the reputed Consultants for preparation of DPR of rural roads/CDs under PMGSY-IV as per details given below :-

- **Nodal PIU - Sheopur, Alirajpur, Barwani, Khargone, Khandwa, Dhar-1, Jhabua, Satna-1, Rewa-1, Chhatarpur, Sagar & Dewas.**
  Total - Length- 9002.00 km.

1. Bid document may by purchased online from 18.02.2026 (11:30 hrs.) and last date for online bid submission is 09.03.2026 (12:30 hrs.)
2. Other details & Conditions may be seen in the detailed NIT, Tender Document for preparation of DPR of Roads/ CDs under PMGSY-IV Nov. 2025 as amended upto date available on E-Procurement System portal **https://www.mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/124470/2026 **(TENDER & ADMIN)**

'मेरी सड़क' एप डाउनलोड कर फीडबैक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

M.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD.
Office of Chief Engineer (EHT-Maintnence)
Block No. 3, Shakti Bhawan , Rampur, Jabalpur
Tender Notice No. CE (EHT-M)E-/Tender/MT-284/1488 Dated : 12.02.2026

TENDER-NOTICE

Tender No. MT-284 (T. ID-2026_MPPTC_482009_1) :- ONLINE Tenders are invited for PID (Puncture Insulator Detection) work of Single/Double Suspension/Tension insulator strings of at various tower location of 400/220/132 kV EHV lines or both circuits under charged (live) condition of line under EHT-Maint. Division, Ujjain as per tender specifications. Tender Cost - Rs. 1,770/- and due date of opening is 01.04.2026
For further details, please visit our website **www.mptenders.gov.in**

//SAVE ENERGY//
M.P. Madhyam/124473/2026 **CHIEF ENGINEER (EHT-Maint.)**

CENTRUM Home Loans Aao milkar ghar banaye
कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस
(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के अनुसार)
ऋण खाता संख्या JLRJL24017435

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29/11/2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें किशन कुमार कोल को ऋणकर्ता तथा ज्ञान बाई को सह-ऋणकर्ता के रूप में नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि 2547866/- रुपये (पच्चीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये मात्र) संविदात्मक ब्याज, दंडात्मक ब्याज, प्रभार, लागत आदि सहित उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया है।
ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता को, विशेष रूप से और आम जनता को, सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने पर, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर 11 फरवरी, 2026 को कब्जा कर लिया है।
ऋण लेने वाले को, विशेष रूप से, और आम जनता को, इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें संविदात्मक ब्याज और दंडात्मक ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल होंगे।
ऋण लेने वाले का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

खसरा संख्या 593/1/2, मकान संख्या पुराना 21/16 नया 53, प्रवेश क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट और प्रथम मंजिल का निर्माण क्षेत्र 70 वर्ग फुट, मौजा-बिलपुरा, मकान संख्या 9, मार्शी बाल्मिक वार्ड संख्या 78, आरएनएम जबलपुर, तहसील- रांझी, जिला- जबलपुर-482011, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और पार्सल में। सीमाएँः- पूर्वः गुड्डी बाई (विक्रेता) का घर, पश्चिमः बगल की सड़क, उत्तरः वीरसिंह मरावी का घर, दक्षिणः बगल की सड़क

दिनांकः 11.02.2026
स्थानः जबलपुर
अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड **IDFC FIRST Bank**
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	114901929	संपत्ति के बदले ऋण	17.12.2025	7,68,337.26/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. अनिल कुमार चौधरी 2. संध्या चौधरी 3. सुनील चौधरी

संपत्ति का पताः प्लॉट का वह सारा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 3050 = 1500 वर्ग। फुट., खसरा नंबर का हिस्सा. 225/2, मौजा/गांव में स्थितः करमेता, एन.बी. नहीं। 497, पी.एच.एन.ओ. 26/27, कर्मता की आन्या कॉलोनी एवं शेष क्षेत्र, भगवान परशुराम वार्ड नं. 73, पुरानी तहसील जबलपुर/पनागर अब अधारताल, जिलाः जबलपुर, मध्य प्रदेश-482001, और सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः गुप्ता जी, पश्चिमः पुन्नू लाल, उत्तरः बैधराज गुप्ता, दक्षिणः साइड रोड

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	147822346	संपत्ति के बदले ऋण	27.01.2026	44,73,804.48/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. अनिल पुरूषोत्तम 2. अनिता पाठक 3. अनिल पुरूषोत्तम C/O श्री राधा ट्रेडर्स

संपत्ति का पताः गजानन कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान बी-48, भूतल, में निर्मित अचल संपत्ति का वह भाग, जिसका पता मौजा मुद्वारा (गुरुनानक वार्ड), पीएच नं. 42, न्यू बंदोबस्त नंबर 493, आर.एन.एम. मुरवारा-1, डायवर्टेड खसरा नंबर 1346/9, 1346/57, 1346/58, 1346/59, तहसील कटनी, जिला कटनी, मध्य प्रदेश है और जिसका भूमि क्षेत्र 121.16 वर्ग फुट है। (11.26 वर्ग मीटर), और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः साझा मार्ग, दक्षिणः विक्रेता की भूमि, पूर्वः दुकान संख्या बी-35, बी-36, पश्चिमः दुकान संख्या बी-49

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 14.02.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

पूर्ण मूल्य आधार पर ऑफर से विक्रय

रामेश्वरम कॉलोनी खिरसाडोह परासिया छिन्दवाड़ा में रिक्त व्यावसायिक भूखण्ड, एकता परिसर खापाभाट छिन्दवाड़ा में रिक्त दुकान, दीनदयाल पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा में रिक्त 02 शाला भूखण्डों एवं 05 दुकान सहित व्यावसायिक भूखण्ड, 02 आवासीय भूखण्ड को खरीदने का सुनहरा अवसर

ई-ऑफर दिनांक 22.03.2026 तक आमंत्रित

योजना की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	योजना का नाम	संपत्ति का विवरण	भूखण्ड/ दुकान का क्षेत्रफल (व.मी.)	भूखण्ड/ दुकान का अपसेट मूल्य (रु. लाख)	धरोहर राशि (रु. लाख)	ऑफर पत्र का मूल्य (रु./जीएसटी सहित)
1.	रामेश्वरम कॉलोनी खिरसाडोह परासिया जिला छिन्दवाड़ा रेरा रजि. क्र. P-CDW-18-1984	व्यावसायिक भूखण्ड	908.55	165.47	2482050/-	1770/-
2.	एकता परिसर खापाभाट छिन्दवाड़ा रेरा रजि. क्र. P-CDW-17-265	दुकान क्र. 03	2.40x3.00 = 7.20 व.मी.	6.44 (प्रति दुकान)	128800/-	1770/-
3.	डी.डी. पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा	शाला भूखण्ड क्र. 01 (A)	938.50	39.36	787200/-	1770/-
4.	डी.डी. पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा	शाला भूखण्ड क्र. 02 (B)	1395.00	58.50	877500/-	1770/-
5.	डी.डी. पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा	05 दुकान सहित व्यावसायिक भूखण्ड	647.87	132.58	1988700/-	1770/-
6.	डी.डी. पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा	आवासीय भूखण्ड एम.आई.जी. द्वितीय भूखण्ड क्र. 230	82.50	7.17	143400/-	1180/-
7.	डी.डी. पुरम कॉलोनी छिन्दवाड़ा	आवासीय भूखण्ड एम.आई.जी. द्वितीय भूखण्ड क्र. 233	82.50	7.17	143400/-	1180/-

प्रक्रिया एवं शर्तें :- (1) ऑफर हेतु आवेदक को **www.mphousing.in** अथवा **www.mponline.gov.in** पर भी आवेदन पत्र रु. 1770/- जमा कर ऑनलाइन भरना होगा। (2) धरोहर राशि ऑनलाइन/आर.टी.जी.एस. से जमा करनी होगी। (3) धरोहर राशि के जमा होने के पश्चात् आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल पर बिड आई.डी. प्राप्त होगी। जिसके माध्यम से आवेदक अपना ई-ऑफर जमा कर सकेगा। (4) ऑफर हेतु निर्धारित तिथियां निम्नानुसार हैं :- (अ) आवेदन एवं धरोहर राशि जमा करने हेतु अंतिम तिथि 22.03.2026. (ब) ऑफर राशि (बिड) डालने हेतु अंतिम तिथि 23.03.2026 शाम 5:00 बजे। (स) ऑफर खोलने की तिथि 24.03.2026 शाम 5:00 बजे। (5) मण्डल एवं शासन के नियम एवं शर्तें लागू। (6) अन्य सभी शर्तें मण्डल पोर्टल **www.mphousing.in/ www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध। (7) ऊपर दी गयी भूखण्ड की माप में वास्तविक माप प्रमाण पत्र के आधार पर कोई परिवर्तन होता है तो प्रस्तावित दर/मूल्य अनुसार औसत मूल्य मान्य होगा। (8) भूखण्ड/दुकान का विक्रय यथास्थिति में किया जा रहा है। अत: ऑफर प्रस्तुत करने से पूर्व संपत्ति का अवलोकन कर लें। स्वयं के कारणों से ऑफर निरस्त कर राशि वापिस मांगने पर धरोहर राशि का 50 प्रतिशत कटौत्रा कर शेष राशि वापिस की जावेगी। शासन/मण्डल द्वारा निर्धारित अन्य कर, शुल्क, प्रभार एवं लीजरेंट इत्यादि पृथक से देय होंगे।

संपत्ति के ऋण हेतु बैंक/वित्तीय संस्थानों से सुविधा।

ऑनलाइन भुगतान में सहायता हेतु Whatsapp MPHIDB-Helpdesk- 79742-64023

संपर्क आर.के. कौशले (संपदा अधिकारी, छिन्दवाड़ा) मो. 9406912299, वी.के. सोनकेशरिया (संपदा प्रबंधक छिन्दवाड़ा) मो. 9993078103, आर.एन. पहाडे (वरिष्ठ सहा. संभाग-छिन्दवाड़ा) मो. 9630520521, सुश्री सुनीति परते (उपयंत्री, छिन्दवाड़ा) मो. 7898886393, सुश्री आयुशी सरियाम (उपयंत्री, छिन्दवाड़ा) मो. 8719072708

Visit us : www.mphousing.in
म.प्र. माध्यम/124477/2026

ऑनलाइन भुगतान में असुविधा होने पर Whatsapp Helpdesk Number 7974264023

पंजीकृत आवंटी अब अपनी समस्त देय राशि का भुगतान मंडल के मोबाइल एप (MPHIDB_GEO जो Google Play Store पर उपलब्ध है) के माध्यम से भी कर सकते हैं। दिये गये QR-Code को स्कैन कर भी एप डाउनलोड कर सकते हैं।

Follow us on / mphidb
X/ mphidb